



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-15012026-269355
CG-TN-E-15012026-269355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 46]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

चेन्नै, 15 जनवरी, 2026

फा. सं. एचआर-आइआर/184/01/2026(ई).— बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के पश्चात् तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक मंडल द्वारा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम, 2026

कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम (6) में,

(ए) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(3) जहाँ जाँच करने का प्रस्ताव हो, वहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट आरोप तैयार करेगा तथा आरोप-पत्र, आरोपों का

विवरण, जिन दस्तावेजों पर निर्भर किया गया है उनकी सूची सहित उन दस्तावेजों की प्रतियाँ तथा जिन गवाहों पर आरोप आधारित हैं उनकी सूची (यदि कोई हो), लिखित रूप में अधिकारी कर्मचारी को संप्रेषित की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो पंद्रह दिनों से अधिक न हो, अथवा उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर, अपने बचाव का लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा।”

परंतु यह कि किसी भी परिस्थिति में, आरोप-पत्र की प्राप्ति की तिथि से अधिकारी कर्मचारी द्वारा बचाव का लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु समय-विस्तार पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि जहाँ दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराना संभव न हो, वहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

(बी) उप-विनियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(12) उप-विनियम (11) के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध के प्राप्त होने पर, जिन प्राधिकरणों के पास माँगे गए दस्तावेज भौतिक रूप में अथवा डिजिटल रूप में अभिरक्षा या कब्जे में हों, वे ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर जाँच प्राधिकारी के समक्ष उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे अथवा उनकी अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र जारी करेंगे:

बशर्ते है कि यदि जिस प्राधिकरण के पास अभ्यर्थित (रिक्रिजीशन किए गए) दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जा है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यह संतुष्ट हो कि ऐसे सभी या किसी भी दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना जनहित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा, तो वह इस संबंध में जाँच प्राधिकरण को सूचित करेगा। जाँच प्राधिकरण, ऐसा सूचित किए जाने पर, उक्त सूचना अधिकारी कर्मचारी को संप्रेषित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण या खोज के लिए की गई अपनी अभिरक्षा/मांग (रिक्रिजीशन) को वापस ले लेगा।

(सी) उप-विनियम (21) में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(iii) (ए) जाँच प्राधिकरण, जाँच प्राधिकरण के रूप में अपनी नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर जाँच को पूर्ण करेगा तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(बी) जहाँ खंड (ए) में निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना संभव न हो, वहाँ जाँच प्राधिकरण कारणों को अभिलेखित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकरण से लिखित रूप में समय-विस्तार की माँग कर सकता है, और अनुशासनिक प्राधिकरण ऐसी जाँच के पूर्ण होने के लिए एक बार में छह माह से अधिक न होने वाली अतिरिक्त अवधि प्रदान कर सकता है;

(सी) अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा अथवा उसकी ओर से अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किए जाने वाले किसी उचित एवं पर्याप्त कारण के लिए, एक बार में छह माह से अधिक न होने वाली अवधि का विस्तार प्रदान किया जा सकता है।”

3. उक्त विनियम में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

(विनियम 3 (बी), (जी), (एन), (ओ), (17) एवं 18 देखें)

क्रम संख्या	पद का नाम	अनुशासनात्मक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II में अधिकारी	सहायक महा प्रबंधक	उप महा प्रबंधक	महा प्रबंधक
2.	मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-III में अधिकारी	उप महा प्रबंधक	महा प्रबंधक	मुख्य महा प्रबंधक
3.	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-IV और V में	महा प्रबंधक	मुख्य महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक

	अधिकारी			
4.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VI में अधिकारी	मुख्य महा प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी
5.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VII में अधिकारी	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	बोर्ड की समिति
6.	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VIII में अधिकारी	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	बोर्ड की समिति	बोर्ड

दिलीप कुमार बारिक, महा प्रबंधक (एचआर)

[विज्ञापन-III/4/असा./622/2025-26]

टिप्पण: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 भारत के राजपत्र के भाग III, खंड IV में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात्—

क्रम संख्या	भाग एवं खंड	अधिसूचना संख्या	दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	भाग III, खंड 4	81	13.01.2020	24.02.2020

INDIAN OVERSEAS BANK

(Central Office)

NOTIFICATION

Chennai, the 15th January, 2026

F. No. HR-IR/184/01/2026(E).—In exercise of powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Overseas Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 namely:—

- (1) These regulations may be called the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, in regulation (6),—
 - for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3)Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authority shall frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the Officer Employee and the articles of charge, together with a statement of allegations, list of documents relied on along with a copy of such documents and list of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the Officer Employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority not exceeding fifteen days, or within, such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence:

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge:

Provided further that wherever it is not possible to furnish the copies of documents, the disciplinary authority shall allow the Officer Employee to inspect such documents within a time specified in this behalf.”;

(b) for sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(12) On receipt of the requisition under sub-regulation (11), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents physically or digitally shall produce the same or issue a non-availability certificate before the Inquiring Authority within a period of one month of the receipt of such requisition:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents shall be against the public interest or security of the State, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall on being so informed, communicate the information to the Officer Employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.”;

(c) in sub-regulation (21), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

“(iii) (a) the Inquiring Authority shall conclude the inquiry and submit its report within a period of six months from the date of receipt of order of his appointment as Inquiry Authority;

(b) where it is not possible to adhere to the time-limit specified in clause(a), the Inquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the Disciplinary Authority in writing, who may allow additional time not exceeding six months at a time for completion of such inquiry;

(c) the extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reason to be recorded in writing by the Disciplinary Authority or any other Authority authorised by the Disciplinary Authority on his behalf.”.

3. In the said regulation, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted namely:—

SCHEDULE

(See regulations 3 (b), (g), (n), (o), (17) and 18)

Serial number	Name of Post	Disciplinary authority	Appellate authority	Reviewing authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Officers in Junior Management Grade Scale-I and Middle Management Grade Scale-II	Assistant General Manager	Deputy General Manager	General Manager
2.	Officers in Middle Management Grade Scale-III	Deputy General Manager	General Manager	Chief General Manager
3.	Officers in Senior Management Grade Scale-IV and V	General Manager	Chief General Manager	Executive Director
4.	Officers in Top Executive Grade Scale-VI	Chief General Manager	Executive Director	Managing Director and Chief Executive Officer
5.	Officers in Top Executive Grade Scale-VII	Executive Director	Managing Director and Chief Executive Officer	The Committee of the Board
6.	Officers in Top Executive Grade Scale-VIII	Managing Director and Chief Executive Officer	The Committee of the Board	The Board.

DILLIP KUMAR BARIK, General Manager (HR)

[ADVT.-III/4/Exty./622/2025-26]

Note: The Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette of India Part III, Section IV and subsequently amended vide the following notification, namely:—

Serial number	Part and section	Notification Number	Date	Date of publication in the Official Gazette
1.	Part III, Section 4	81	13.01.2020	24.02.2020